न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 97/2019/दावा

1 ईश्वर लाल पुत्र रामूराम
2 बाबुलाल पुत्र रामूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण गीलो की ढाणी तन लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीगण

बनाम

1 जगदीश पुत्र भूराराम
2 महावीर पुत्र भूराराम
3 मोहनलाल पुत्र लूणाराम
4 कानाराम पुत्र लूणाराम
5 मोहनी देवी पत्नि गणेश
6 जमनादेवी पत्नि नरसीराम
7 बीरबल पुत्र रतनाराम
8 नून्दाराम पुत्र रतनाराम
9 महावीर पुत्र रतनाराम
10 रतनाराम पुत्र चन्द्राराम
11 भागूराम पुत्र चन्द्राराम
12 चोखाराम पुत्र चन्द्राराम
13 धोंकलराम पुत्र चन्द्राराम
14 सुरजीदेवी पत्नि जोधाराम
15 महादु पुत्र ईशरा
16 सुभाष पुत्र साधु
17 झाबरमल पुत्र साधु
18 विनोद पुत्र साधु
19 मंजुदेवी पुत्री साधु
20 राजूदेवी पत्नि साधु
21 प्रकाशचंद पुत्र रामप्रताप
22 गिरधारी पुत्रगण रामप्रताप
23 सुमन पुत्री रामप्रताप
24 संतोष देवी पत्नि रामप्रताप
25 फुली देवी पत्नि रतनाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण सीतारामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
26 पटवारी, पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
27 तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री महेन्द्र कुमावत वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर सें।
2. शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

निर्णय दिनांक – 14.12.2020

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 किता 9 कुल रकबा 12.59 है0 वाके ग्राम गीलों की ढाणी पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों में वादीगण ने खातेदार जमनादेवी पत्नि नरसीराम जाति जाट के हिस्सा 1/8 में से 3/10 हिस्से की यानि कि सम्पूर्ण भूमि में से 0.3790 है0 भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 06.01.2016 को कय कर पूर्व खातेदार जमनादेवी के कब्जे में खसरा नम्बर 540 पर कब्जा प्राप्त कर उसी अनुसार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त भूमियों में वादीगण का हिस्सा 3/80 है व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/4 दर हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का 1/4 दर हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/8 में से 3/80 विकय कर दिया शेष हिस्सा बदस्तुर है। प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 7 8 9 व 21 ता 23 का हिस्सा 1/25 दर हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 का 1/4 दर हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 1/40 प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 20 का हिस्सा 1/20 व प्रतिवादी संख्या 25 का 1/100 दर हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 11 12 13 का हिस्सा 3/20 ओर है। उक्त हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमियों में खातेदार रामप्रताप की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिशान के नाम खातेदारी दर्ज नही हुई है जिसको प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 24 बतौर पक्षकार बनाया गया। खातदेार साधुराम की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिशान के नाम खातेदारी दर्ज नही हुई है जिनको प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 20 के रूप में पक्षकार बनाया गया है व खातेदार मोहनी पत्नि ईशरा की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिशों को भी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 20 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। उपरोक्त भूमियों का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा हो रखा है उसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। वादीगण अपनी उक्त कृषि सम्पदा को बंटवारा के समय से ही बाहमी बंटवारा में आयी अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। अब वादीगण उक्त कृषि सम्पदा का विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउन्ड्स बंटवारा करवा कर अपनी काश्त भूमि को और उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय समय पर आने वाली कृषि योजनाओं का लाभ ले कर अच्छी काश्त करना चाहते है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पदा का बाई मिट्स व बाउन्ड्स बंटवारा हेतु आवश्वासन देते रहे परन्तु अभी विगत दिनो वादग्रस्त सम्पदा का बाई मिट्स व बाउन्ड्स बंटवारा करवाने से साफ इन्कार हो गये व प्रतिवादीगण ने वादीगण से धमकी भरे अंदाज में कहा कि हम अच्छे भू भाग पर कब्जा करेंगे व रास्ते को बन्द करेंगे इसलिए वादग्रस्त भूमियों का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवारा किया जाकर वादीगण को उसके हक हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार उद्घोषित किया जाकर वादीगण के अलग खसरा नम्बर कायम कर अलग अलग नींव सींव कायम कर रिकार्ड दुरूस्ती किया जाना प्रार्थनीय है तथा उसी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवारा किया जाकर अलग खसरा नम्बर व नींव सींव कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। दिनांक 25.07.2019 को प्रतिवादीगण ने वादीगण के बाहमी बंटवारा में आई हिस्से की भूमियों को दिगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर कृषि भूमियां

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

खसरा नम्बर 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 किता 9 कुल रकबा 12.59 है0 वाके ग्राम गीलों की ढाणी पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत् बंटवारा किया जाकर मौके पर कब्जेनुसार व खातेदारी अनुसार अलग से एकांकी रूप से कायम कर अलग अलग खाता कब्जा व लगान एवं सीव--नींव निर्धारित की जावें। उक्त सम्पदा से वादीगण को बेदखल करने, खुर्द बुर्द करने, बेचान करने, किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमावत हाजिर आयें। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 26 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहने हेतु आदेशिका पर अंकन किया व नाम हजफ करने के लिए लिखा गया। अतः प्रतिवादी संख्या 26 का नाम हजफ किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाने पर सहमति जाहिर की। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. हमने वादीगण एवं प्रतिवादीगण योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस वकील वादीगण ने विवादित भूमियों का विधिवत रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करने हेतु आग्रह किया। चूंकि विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है तथा वादीगण अपने हिस्से का मौके व रिकॉर्ड के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 किता 9 कुल रकबा 12.59 है0 वाके ग्राम गीलों की ढाणी पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का मौके व रिकॉर्ड के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवारा किया जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जाती है :-

1. **यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।**
2. **पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।**
3. **यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 12.02.2021 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।**

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 1000/-रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 12.02.2021 को पेश हो।

यह आदेश आज दिंनाक 14.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 97/2019/दावा

1 ईश्वर लाल पुत्र रामूराम

2 बाबुलाल पुत्र रामूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण मीलो की ढाणी तन लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीगण

बनाम

1 जगदीश पुत्र भूराराम

2 महावीर पुत्र भूराराम

3 मोहनलाल पुत्र लूणाराम

4 कानाराम पुत्र लूणाराम

5 मोहनी देवी पत्नि गणेश

6 जमनादेवी पत्नि नरसीराम

7 बीरबल पुत्र रतनाराम

8 नून्दाराम पुत्र रतनाराम

9 महावीर पुत्र रतनाराम

10 रतनाराम पुत्र चन्द्राराम

11 भागूराम पुत्र चन्द्राराम

12 चोखाराम पुत्र चन्द्राराम

13 धोकलराम पुत्र चन्द्राराम

14 सुरजीदेवी पत्नि जोधाराम

15 महादु पुत्र ईशरा

16 सुभाष पुत्र साधु

17 झाबरमल पुत्र साधु

18 विनोद पुत्र साधु

19 मंजुदेवी पुत्री साधु

20 राजूदेवी पत्नि साधु

21 प्रकाशचद पुत्र रामप्रताप

22 गिरधारी पुत्रगण रामप्रताप

23 सुमन पुत्री रामप्रताप

24 संतोष देवी पत्नि रामप्रताप

25 फुली देवी पत्नि रतनाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण सीतारामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

26 पटवारी, पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

27 तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, वकील वादीगण की ओर सें।

2. श्री महेन्द्र कुमावत वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर सें।

3. शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ।

प्राथमिक डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी , मुकाम दांतारामगढ
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

ईश्वरलाल आदि बनाम जगदीश आदि

दावा बाबत बटंवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 97 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक 14.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **सुरेन्द्रपाल धायल** मिनजानिब मुद्दई व महेन्द्र कुमावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिकी किया जाता है कि विवादित कृषि आराजियात भूमि खसरा नम्बर 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 किता 9 कुल रकबा 12.59 है0 वाके ग्राम गीलों की ढाणी पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में सें वादीगण के हिस्से का मौके एवं रिकॉर्ड अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमीश्नर नियूक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिकी निम्नांकित शर्तो पर जारी की जाती है :–

1. **यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।**
2. **पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।**
3. **यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 12.02.2021 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।**

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.12.2020 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	--	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	--	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	--	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	–	00		0	00
मीजान	7	00	मीजान	0	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ